

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275416
SG-DL-E-12082026-275416असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2026/श्रावण 21, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 170
No. 238]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026/SHRAVAN 21, 1948	[N. C. T. D. No. 170

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

फा.सं. 1/80/2026/गृह-प्रशासन/3716-24.—दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अग्निशमन ऑपरेटरों के पदों को नियंत्रित करने वाले संबंधित भर्ती नियमों के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह सचिव, भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2026 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 45023/33/2022-पीपी(1) के द्वारा यथा संसूचित पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अग्निशमन ऑपरेटरों के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. संबंधित/लागू भर्ती नियमों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त तीन (3) वर्ष की आयु में छूट।
2. अग्निवीर योजना के प्रथम बैच के उम्मीदवार को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से परे पांच वर्ष (5) की आयु में छूट दी जा सकती है।

3. पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में छूट का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।
4. उपयुक्त पूर्व अग्निवीरों की अनुपलब्धता की स्थिति में, क्षेत्रीय आरक्षण पर भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
5. अन्य क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणियों के समान ही, सभी पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20% क्षेत्रीय आरक्षण उपलब्ध होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

भूप सिंह, उप सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th August, 2026

F. No. 1/80/2026/Home-Admn./3716-24.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the relevant Recruitment Rules governing the post of Fire Operator in Delhi Fire Service, Government of the National Capital Territory of Delhi, and in pursuance of the policy of the Government of India for rehabilitation of Ex-Agniveers, as communicated vide D.O. Letter No. 45023/33/2022-PP(1) dated 25th March, 2026 of the Home Secretary, Government of India, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to provide 20% horizontal reservation for Ex-Agniveers in direct recruitment to the post of Fire Operator in Delhi Fire Service, Government of the National Capital Territory of Delhi, subject to the following conditions, namely:-

1. Three years (3) age relaxation above the prescribed upper age limit in the relevant/applicable Recruitment Rules.
2. Age relaxation of five years (5) beyond the prescribed upper age limit may be given to the candidate of the first batch of Agniveer Scheme.
3. Relaxation in Physical Efficiency Test (PET) to Ex-agniveer shall be decided by the respective Department.
4. In case of non-availability of suitable ex-Agniveers, the applicable guidelines of Govt. of India on horizontal reservation will be followed.
5. The 20% Horizontal Reservation will be available for all ex-Agniveers on lines of that for other Horizontal Reservation Categories.

By Order and in The Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

BHOOP SINGH, Dy. Secy. (Home)